प्रपत्र -5

(16)

(5)

(1)

संख्या 5109 /III(2)/11 11(एम०ए०-प०)/2

प्रेषक

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(1)

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 15 नवम्बर, 2011

विषयः- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-विकासनगर के अन्तर्गत विभिन्न 13 कार्यों की द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 6150/III(2)/10-18(प्रा०आ०)/2010 दिनांक 18-08-2010 के क्रम में मुख्य अभियन्ता गढ़वाल लो०नि०वि०, पौड़ी द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-विकासनगर के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 13 कार्यों के विस्तृत आगणनों, लम्बाई 11.935 किमी० पर टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त पाई गई औचित्यपूर्ण लागत ₹ 683.90 लाख (₹ छः करोड़ तिरासी लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु संलग्नक के कॉलम-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹ 34.75 लाख (₹ चौतीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण में स्पष्ट माईलस्टोन एवं समय सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लाई जाय।

(v) आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vii) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(viii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

महिमा

(x) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(xii) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2012 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है उसका व्यय निर्माणाधीन चालू कार्यों की मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 13-05-20 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- इस सबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-30 -लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-8 -अन्य व्यय-03 राज्य सैक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- **यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 380/XXVII/(2)/2011 दिनांक 11 नवम्बर, 20 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या- 5109 (1)/ ||(2)/ 11 11(एम0एल0ए0)/2011 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी जनपद देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/ सहिया।
10. लोक निर्माण अनुभाग 1/3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

(3)

पत्रसं0- 5109 / 111(2)/11- 11(एम0एल0ए0)/2011 दिनांक 15 नवम्बर, 2011 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा संस्तुत लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
	02	03	04	05
	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम वेदमीवाला में गांव से नदी की ओर सड़क का निर्माण	0.70	197.74	10.00
	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर में नाली एवं सड़क निर्माण	1.50	49.55	2.50
	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम मलूकावाला से गुडरिच तक सड़क का निर्माण	1.35	69.17	3.50
4	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- विकासनगर के अन्तर्गत एटनबाग में मुख्य मार्ग से लेहमन अस्पताल तक सड़क डामरीकरण।	0.500	13.88	0.70
	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत हरबर्टपुर में मुख्य मार्ग से डी0आर0स्कूल से होते हुये लेहमन अस्पताल की ओर सड़क निर्माण।	0.500	22.33	1.00
6	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम तेलपुर से तेलपुर गांव होते हुए मेहूवाला कसाई घाट तक तथा तेलपुरा चौराहे से नहर तक सड़क का सीसीकरण एवं आवश्यकतानुसार नाली निर्माण।	2.50	52.45	2.60
7	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम रुद्रपुर से वेदपाल के घर से देवथला लिलाराम के घर तक सड़क निर्माण एवं कॉजवे का निर्माण।	0.510	25.80	1.30
	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- विकासनगर के अन्तर्गत डाकपत्थर मुख्य चौराहे से बस्ती तक सड़क निर्माण।	0.500	7.28	0.35
	जनपद देहरादून के विधानसभा-विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम कुल्हाल/डाकपत्थर से धाडवाला से जुड्डी मार्ग से नहर तक सड़क निर्माण।	1.200	47.30	2.35
10	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत नगर पालिका कार्यालय से पश्चिमीवाला तक सड़क का डामरीकरण।	1.00	38.24	2.00
11	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम लांघा मुख्य मार्ग से शिशु विद्या मन्दिर तक सड़क का निर्माण।	0.350	26.00	1.30
12	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम मार्टिन डेल चिरंजीपुर में बड़ी नहर से स्कूल तक सड़क निर्माण।	0.500	28.66	1.90
	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम हरिपुर से मुख्य मार्ग से जू0हा0स्कूल की ओर सड़क का निर्माण।	0.825	105.50	5.25
	योग	11.935	683.90	34.75

(₹ चौंतीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

(महिमा)
अनुसचिव

5-NOV-2011 12:10 FROM:P.SECY.PWD 01352712114 TO:01352609669